

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 865]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 नवम्बर 2025 — कार्तिक 22, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

अधिसूचना

F.No.:GENCOR-35/1336/2025-FOREST. - वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38प द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 8-21/2007/10-2, दिनांक 20 मई, 2022 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर बाघ, सह-प्रजातियों तथा शिकारी पशुओं के समन्वय, निगरानी, सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित संचालन समिति गठित करती है, अर्थात्:-

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती गोमती साय, माननीय विधायक, पथलगान्वा, छत्तीसगढ़ (सदस्य जनजाति सलाहकार परिषद)	सदस्य
4.	श्री नीलकंठ टेकाम, माननीय विधायक, केशकाल, छत्तीसगढ़ (सदस्य जनजाति सलाहकार परिषद)	सदस्य
5.	भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य
6.	भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
7.	भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
8.	क्षेत्रीय संचालक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व	सदस्य
9.	क्षेत्रीय संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व	सदस्य

10.	क्षेत्रीय संचालक, उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व	सदस्य
11.	संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य
12.	श्री आर. के. सिंह, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
13.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI), रायपुर	सदस्य
14.	श्री सोमेन डे, टीम लीडर, सेन्ट्रल इंडिया विश्व वन्यजीव कोष (WWF), जबलपुर	सदस्य
15.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव

2. समिति के अशासकीय सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समतुल्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहरने की सुविधा की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

F.No.:GENCOR-35/1336/2025-FOREST. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.No.:GENCOR-35/1336/2025-FOREST, दिनांक 10-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th November 2025

NOTIFICATION

F. No.:GENCOR-35/1336/2025-FOREST. - In exercise of the powers conferred by Section 38U of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and in supersession of previous Notification No. F 8-21/2007/10-2, dated 20th May, 2022, in order to ensure co-ordination, monitoring, protection and conservation of tiger, co-predators and prey animals within the State of Chhattisgarh, the State Government, hereby, constitutes the following Steering Committee, namely:-

1.	Honorable Chief Minister, Government of Chhattisgarh.	Chairperson
2.	Honorable Minister, Government of Chhattisgarh, Forest and Climate Change Department.	Vice-Chairperson
3.	Smt.Gomati Sai, Honorable Member of Legislative Assembly, Pathalgaon, Chhattisgarh. (Member of Tribal Advisory Council)	Member
4.	Shri Neelkanth Tekam, Honorable Member of Legislative Assembly, Keshkal, Chhattisgarh. (Member of Tribal Advisory Council)	Member

5.	Secretary-in-charge, Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Development Department.	Member
6.	Secretary-in-charge, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department.	Member
7.	Secretary-in-charge, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department.	Member
8.	Field Director, Indravati Tiger Reserve.	Member
9.	Field Director, Achanakmar Tiger Reserve.	Member
10.	Field Director, Udanti Sitanadi Tiger Reserve.	Member
11.	Director, Guru Ghasidas National Park.	Member
12.	Shri R.K. Singh, Retired PCCF.	Member
13.	Dr. Rajendra Prasad Mishra. Wildlife Trust of India (WTI), Raipur.	Member
14.	Shri Somen Dey, Team leader, Central India World Wildlife Fund (WWF), Jabalpur	Member
15.	Chief Wildlife Warden, Chhattisgarh.	Member-Secretary

2. Non-Governmental members of the committee are entitled for travelling allowance, lodging and boarding facilities equivalent to Class-I Officer of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Joint Secretary.